राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ. 1(1) (1) आ.प्र. एवं सआ/सामान्य/2013/1786-1818 जयपुर,दिनांक 28-2-2014

समस्त जिला कलेक्टर,

राजस्थान

विषयः—राज्य में रबी फसल 2014 में ओलावृष्टि से प्रभावित पात्र किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

प्रसंगः—सहायता पैकेज आदेश क्रमांक 1753—85 दिनांक 28.2.2014 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे लेख है कि राज्य में ओलावृष्टि से रबी फसल 2014 में हुई क्षति से प्रभावित काश्तकारों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता पैकेज घोषित किया गया है, जिसके अनुसार कृषि आदान अनुदान वितरण के लिए निम्ननानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः—

1. जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको जोत सीमा तक एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा जो अधिकतम दो हैक्टेयर तक देय होगाः—

- असिंचित क्षेत्र हेतु — 4500 रूपये प्रति हेक्टेयर
- सिंचित क्षेत्र हेतु
  ए—बिजली के कुओं व नहर से सिंचित क्षेत्र हेतु — 9000 रूपये प्रति हेक्टेयर
  बी—डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु — 12000 रूपये प्रति हेक्टेयर

2. राहत पैकेज में घोषित सहायता, उन कृषकों को भी दी जा सकती है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने खेती ठेके पर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

25/2/14

3. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतन्त्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतन्त्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उससे लघु, सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

4. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए पटवारी द्वारा जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अपने क्षेत्र के सीमान्त, लघु तथा दो हैक्टेयर से अधिक तक भूमिधारित कृषकों की सूची पृथक्–पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाऐगीः–

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र लघु/सीमान्त/2 हैक्टेयर से अधिक भूमि धारित कृषकों की सूची

ग्राम .....पटवार हल्का.....तहसील.....

क्र. सं.	कृषक का नाम मय सकूनत	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट.में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट.में)	रकबा खराबा (हैक्टे. में) 50 प्रतिशत या इससे अधिक	देय अनुदान (असिंचित फसल पर 4500/– प्रति है0, सिंचित फसल डीजल इंजन से सिंचित 12000/– प्रति है0, बिजली के कुओं व नहर से सिंचित 9000/– रूपये प्रति है0) (न्यूनतम रूपये 750/–)	बैंक खाते का विवरण	
						बैंक मय शाखा का नाम	काश्तकार का खाता संख्या

हल्का पटवारी ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से अपने हल्के की सूचियां तैयार कर राजस्व निरीक्षक को प्रेषित करेंगे और राजस्व निरीक्षक इन सूचियों को सत्यापित कर तहसीलदार को प्रेषित करेंगे, जो इनके आधार पर कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे। तहसीलदार से स्वीकृति के उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम सचिव व कृषि पर्यवेक्षक के सहायोग से पात्र कृषकों की सूची एवं उनको स्वीकृत की गई राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा एवं इस संबंध में समस्त प्रकिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपनी तहसील के लिए इसी आधार पर आवश्यक बजट की मांग जिला कलेक्टर से की जायेगी।

5. **कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः–**

जिला स्तरीय समितिः–जिला स्तर पर अति. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो कि जिले में इस योजना के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में कृषि एवं सहकारिता/केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिला स्तरीय अधिकारी होगें। इस समिति के द्वारा इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकयतों का निस्तारण किया जायेगा।

28/2/14

उपखण्ड स्तरीय उप समितिः–उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व सहकारिता विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की एक उप समिति का गठन किया जायेगा, जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारू कियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

ग्राम स्तरीय समितिः–इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक तथा सहकारिता विभाग/समिति का स्थानीय कर्मचारी सदस्य होंगे जो कि गांवों में इस योजना की कियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. **बजट की मांगः**– तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर जिला कलेक्टर विभाग को बजट की ऑनलाईन मांग प्रेषित करेंगे। जिला कलेक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खाता खुलने की

कार्यवाही तहसील स्तर पर पूर्ण हो चुकी है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आंवटन विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. **बैंक खाताः**—समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही किया जावेगा, न कि नगद। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नही है, उनके नये खाते सहकारी बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से खुलवाने होंगे। इस सम्बंध में कोई भी समस्या आने पर संबंधित जिला कलेक्टर, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता व रजिस्ट्रार सहकारिता से सम्पर्क कर सकते है।

8. **कृषि आदान अनुदान का भुगतानः**—संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा कृषि आदान अनुदान मद में आवंटित राशि के वितरण हेतु जिलें के प्रभावित लघु/सीमान्त कृषक एवं उनसे अधिक जोत सीमा वाले कृषकों के बैंक खातों में धनराशि का स्थानान्तरण करेगा। जैसे—जैसे तहसील कार्यालय से प्रभावित काश्तकारों की सूची प्राप्त होती जावे, वैसे—वैसे, बिना विलम्ब, उन काश्तकारों के बैंक/मिनीबैंक खातों में देय राशि हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करे। जिन काश्तकारों के पूर्व में बैंक खातें नहीं है, उनके खाते अपने स्तर पर नजदीकतम बैंक/मिनीबैंक में खुलवाना सुनिश्चित करे। इस कार्य में राजस्व/कृषि/ग्रामीण विकास की ऐजेन्सियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

कृषकों के खातों में राशि जमा की साप्ताहिक सूचना जिला कलेक्टर विभाग को उपलब्ध करावें। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

भुगतान की कार्यवाही यथा संभव शीघ्र पूर्ण करली जावें। सभी जिला कलेक्टर किसी भी हालत में, 31 मई, 2014 के पूर्व उपयोगिता प्रमाण—पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

28/2/14

(कुंजीलाल मीणा)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः—

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, जयपुर।

28/2/14

संयुक्त शासन सचिव